Joint Committee Report

In the Matter of

Original Application No.02/2026
'Babu Lal Jajoo & Ors. V/s Union of India & Ors.'

Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench
Bhopal order dated 08.01.2026

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Joint Committee report in compliance with the order dated 08.01.2026 of Hon'ble NGT(CZ) in the O.A. No.02 of 2026	3-8
2.	**Annexure 1:**Copy of the Hon'ble NGT Order dated 08.01.2026	9-12
3.	**Annexure 2:** Minutes of meeting of the Joint Committee	13-14
4.	**Annexure 3:** Notification of Department of Local Self Government dated 29.02.2012, about formation of RTHDF	15-27

Report of the Joint Committee in the O.A. No. 02 of 2026 in the matter of "Babu Lal Jajoo & Ors. V/s Union of India & Ors." before the Hon'ble National Green Tribunal. Central Zonal Bench, Bhopal.

1. Background:

Hon'ble National Green Tribunal. Central Zonal Bench. Bhopal vide order dated 08.01.2026 in O.A. No. 02/2026 "*Babu Lal Jajoo & Ors V/s Union of India & Ors*" constituted a Joint Committee comprising of

i. One representative from the Principal Secretary. (Environment) State of Rajasthan (Rajasthan)

ii. One representative from the Commissioner Transport. State of Rajasthan. (Rajasthan)

iii. One representative from Central Pollution Control Board

iv. One representative from the Rajasthan State Pollution Control Board

In the said order Hon'ble tribunal directed the Committee to submit factual and action taken report within six weeks. Further, in the above said Order Hon'ble NGT appointed Rajasthan State Pollution Control Board as nodal agency for coordination and logistic support. Copy of the order dated 08.01.2026 of Hon'ble NGT is enclosed as **Annexure-01**.

2. Constitution of Joint Committee:

In pursuance of Order dated 08.01.2026 of Hon'ble NGT. Bhopal and the nominations received from the organizations concerned. a Joint Committee has been constituted comprising of the following members:

i. Shri. Kapil Chandrawal. Member Secretary. Rajasthan State Pollution Control Board

ii. Shri J.P. Bairwa. Joint Transport Commissioner. Department of Transport. Govt. of Rajasthan

iii. Dr. Jayshri Kala. Group In-Charge (AQMC). RSPCB. Jaipur.

iv. Shri. Rupendra Kumar. Scientist-B. Central Pollution Control Board. Regional Directorate (Central). Bhopal

3. Brief about the case:

- The Original Application (hereinafter referred as O.A.) raises concern about the vehicular pollution in Rajasthan which impacts public health by causing respiratory and cardiovascular diseases like COPD, with asthma, bronchitis, and disproportionate effects on children, the elderly and the pregnant women and the vehicular pollution has impact on environmental and atmospheric impacts like air quality degradation, smog formation due to release of volatile organic compound, release of particulate matter (PM2.5 and PM10) and gaseous pollutants due to burning of fossil fuels from vehicles etc.

- The vehicle exhaust is one of the major sources of air pollution. Further, the commercial vehicle segment trucks, buses, taxis and three-wheelers contribute 60-70% to total vehicular pollution.

- The Department of transport, Government of Rajasthan vide notification dated 11.10.2017 has imposed Cess Called Green Tax for different class of vehicles. The purpose of imposing Green Tax was to control the air pollution. The Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India, New Delhi issued draft guidelines dated 02.02.2021 for 'imposition of Green Tax on older vehicles by State/ UT Governments'. The Government of Rajasthan has collected 2009.66 Crores since 2015-2016 to 2024-2025 as per the information provided under RTI. However, the amount has not been utilised to control air pollution of major cities of Rajasthan which are affected by air pollution due to vehicular pollution.

4. Directions to the Joint Committee:

The Hon'ble NGT's Order dated 08.01.2026 in the above matter has directed to the committee to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks.

5. Meeting of the Joint Committee

In compliance of order dated 08.01.2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 02/2026 (CZ), titled Babu Lal

Jajoo & Ors. Vs. Union of India & Ors., a meeting of the Joint Committee members was held on 09.03.2026 under the Chairmanship of the Member Secretary, RSPCB, Jaipur. The minutes of meeting are annexed as **Annexure -02.**

In this meeting, it was discussed that there is no such place to visit as directed by the Hon'ble Court; hence, no site visit has been conducted.

It is submitted that to provide a systematic, safe and pollution less transport arrangement system and its development and management, State Govt. has constituted a Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF) vide notification dated 29.02.2012. This fund can receive monies from cess amount collected under: -

i. Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act.
ii. Green tax imposed on old and new vehicles.
iii. Stamp duties collected under Rajasthan stamp duty Act.
iv. Amount received under Corporate Social Responsibility (CSR).
v. Money received from Union Govt. or other State Govt. or Other Non-Govt. agencies.
vi. Other resources as decided from time to time.

The green tax collected from old and new vehicles shall be deposited in RTIDF. For operation and management of the fund, Local Self Government (LSG) has been made as the Nodal Department. The 75 % of the total fund will be utilised by the LSG and the 25% fund shall be utilised by the Department of Transport. Notification of Department of Local Self Government dated 29.02.2012, about formation of RTIDF is annexed as **Annexure-03.**

Executive committee has been constituted under the chairmanship of Chief Secretary for utilisation of fund. The implementing agencies include Rajasthan State Road Transport Corporation (RSRTC), Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL), Ajmer City Transport Services Limited, Jaipur Metro Rail Corporation Ltd. Etc.

Presently, entire Green Tax is credited under Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF), the schemes where this fund shall be utilised as per notification 2012 include the activities as mentioned below:

i. To build Road Over Bridge (RoB) flyover/underpass construction.

ii. To develop parking spots.

iii. To build bypass roads for smooth movement in cities.

iv. To make available the latest technical transport means, for this purpose, grant at all interest rates and equity capital to Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur and Ajmer City Transport Services Ltd, Udaipur Metro Rail Corporation etc. institutions.

v. Government undertakings (Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur Metro Rail Corporation, Jodhpur and Ajmer City Transport Services Ltd. etc.) working under the control of the state government in the field of public transport.

vi. To provide assistance for the arrangement of pollution-friendly fuels, such as C.N.G. & L.P.G. etc. and vehicles for the purpose of pollution control.

vii. In urban transport, to encourage vehicles with minimum carbon emissions, silent tyres and sound absorbing road surface so that environmental pollution can be controlled.

However, as per the notification the fund could not be utilised for activities namely (i) expenditure on salary and allowances; (ii) payment of compensation for acquisition of land and buildings; (iii) expenditure on general repairing and communication; (iv) expenditure on training, workshops, seminars etc.

As per the details provided by Transport department, the Green Tax fund received and RTIDF utilized are as under:

Details of Green tax received to the Department of Transport and Road Security for the period of the year 2015-16 to 2025-26	
Financial Year	**Green Tax received in Cr. in the Department**
2015-16	76.78
2016-17	107.54
2017-18	197.17
2018-19	173.15
2019-20	218.84
2020-21	173.84

2021-22	222.72
2022-23	236.22
2023-24	299.09
2024-25	304.68
April 2025- Jan 2026	273.76
Total	**2283.79**

Details of fund utilized from the RTIDF:

A total sum of Rs. 3227.62 Crores was disbursed from the RTIDF fund to the Rajasthan State Road Transport Corporation (RSRTC) during the period from 2015-16 to 2025-26; this amount comprised Rs. 591.53 Crores in the form of grants, Rs. 300 Crores as interest-free loans, and Rs. 2336.09 Crores as Share Capital. The entire amount has been utilized by the Road Transport Corporation for the operation of buses and to offset operational losses.

Similarly, an amount of ₹348.47 crore has been allocated to Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL), Jaipur, from the RTIDF (Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund) for the period spanning from the year 2018-19 to 2025-26. This aforementioned sum has been utilized by JCTSL to reimburse operational losses and to settle outstanding salary dues owed to employees and contractors. It may be noted that as per notification of RTIDF, it is prohibited to use fund for expenditure on salary and allowances.

It has been noted that the entire disbursed fund has been utilised for meeting operational losses rather than utilizing the fund for other activities namely construction of over bridge, under pass, flyovers, development of parking facilities, construction of bypass roads, latest technology / cleaner fuels-based transport system etc.

It is recommended that the amount of green tax collected should be specifically used for the activities to control air pollution, environmental restoration and other activities as per the notifications dated 29.02.2012.

It has been submitted by the Department of Transport that, although the said funds were utilized by both the RSRTC and JCTSL primarily for fleet operations, these

two corporations nevertheless provided adequate public transport services to the general public, thereby indirectly facilitating the prevention of air pollution and owing to the availability of adequate public transport services, the general public prioritized the use of public vehicles over private vehicles in their daily lives; this resulted in a reduction in the movement of a large number of private vehicles, consequently leading to a decline in air pollution.

The opinion of the committee members were that the amount of green tax collected should be specifically used for the abatement of pollution and environmental restoration related activities.

Dr. Jayshri Kala Group In-Charge (AQMC), RSPCB, Jaipur	Shri J.P. Bairwa Joint Transport Commissioner, Department of Transport, Govt. of Rajasthan	Sh. Rupendra Kumar Scientist-B, Central Pollution Control Board (CPCB), RD Bhopal	Sh. Kapil Chandrawal Member Secretary, RSPCB, Jaipur

Item No.04

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.02/2026(CZ)

Babu Lal Jajoo & Ors. Applicant(s)

Vs.

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: 08.01.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): Mr. Lokendra Singh Kachhawa, Adv.

For Respondent(s):

ORDER

1. The submissions of the Learned Counsel for the applicant Mr. Lokendra Singh Kachhawa are that vehicular pollution in Rajasthan significantly pacts public health by causing reparatory and cardiovascular discascs likc COPD, with asthma, bronchitis, and disproportionate effects on children, the elderly and the pregnant women and the vehicular pollution has impact of environmental and atmospheric impacts like: -

   a) Air Quality Degradation: Vehicle emissions are a primary cause of declining air quality in cities like Jaipur.
   b) Smog formation: The release of volatile organic compound and other pollutants can contribute to the formation of smog.
   c) Particulate matter: The burning of fossil fules from vehicles released particulate matter (PM2.5 and PM10) which poses a significant health risk.

d) Gaseous pollutants: Rising trends in nitrogen dioxide and carbon monoxide indicate a 'multipollutant crisis! that needs aggressive measures to control gaseous emissions.

2. Further submissions are that the vehicle exhaust is one of the major sources of air pollution. Further, the Commercial vehicle segment trucks, buses, taxis and three-wheelers Contribute 60-70% to total vehicular pollution. The instant Original Application has been filed raising a substantial question relating to utilisation of Green Tax being Collected by the State of Rajasthan from vehicles. That the Department of transport, Government of Rajasthan vide notification dated 11.10.2017 has imposed Cess Called Green Tax for different class of vehicles. The sole purpose of imposing Green Tax was to control the air pollution. The Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India, New Delhi issued draft guidelines dated 02.02.2021 for 'imposition of Green Tax on older vehicles by State/ UT Governments'. That since 2015-2016 to 2024-2025, the Government of Rajasthan has collected 2009.66 Crores as per the information provided under RTI. However, the amount SO Collected has not been utilised to Control air pollution, contrary to this major cities of Rajasthan are affected by air pollution due to vehicular pollution.

3. Learned Counsel for the applicant has further argued that more than an amount of Rs. 2009.66 Crores have been deposited in the State of Treasury but the guidelines has not been followed and no effective remedial measures have been undertaken to control the air pollution within the State. Funds are diverted for the other purposes or kept unused which is not in public interest and violating the environmental norms.

4. A substantial issue of environmental has been raised.

5. In view of the facts as narrated, we deem it just and proper that followings persons should also be arrayed as respondent being proper and necessary party.

   (i) Respondent no. 4 - Principal Secretary, Environment, State of Rajasthan (Rajasthan)

   (ii) Respondent no. 5 -Principal Secretary, Urban Development Department, State of Rajasthan (Rajasthan)

   (iii) Respondent no. 6 -Principal Chief Conservator of Forest, State of Rajasthan (Rajasthan)

6. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

7. Applicant/Registry is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

8. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

9. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through e-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

10. In view of the seriousness of the matter we constitute a Joint Committee consisting the following members to visit the site and submit the action taken report.

    i. One representative from the Principal Secretary, (Environment) State of Rajasthan (Rajasthan)
    ii. One representative form the Commissioner Transport, State of Rajasthan, (Rajasthan)
    iii. One representative from the Central Pollution Control Board,
    iv. One representative from the Rajasthan State Pollution Control Board

1J

11. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

12. Registry is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and respondents within a week.

13. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **23rd March, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

08th January, 2026,
Original Application No.02/2026(CZ)
K

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004
Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
RSPCB HelpLine No. : 0141-2716877

F.11 (200) RSPCB/AQMC/ 6127-6131 Date:- 16-03-2027

A meeting in compliance of order dated **08.01.2026** passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 02 /2026 (CZ), titled *Babu Lal Jajoo & Ors. Vs. Union of India & Ors.*, of the Joint Committee members was held on 09.03.2026 under the Chairmanship of the Member Secretary RSPCB, Jaipur. List of attendees is annexed at annexure 'A'.

- During the meeting Joint Transport Commissioner, Department of Transport, Govt of Rajasthan has informed that for providing a systematic , safe and pollution less transport arrangement system and its development and management, state has constituted a Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF). This fund can receive monies from cess collected under:-
    1. Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act.
    2. Green tax imposed.
    3. Stamp duties collected under Rajasthan Stamp Duty Act.
    4. Amount received under Corporate Social Responsibility(CSR)
    5. Money received from Union Govt. or other State Govt or Other Non Govt. Agencies.
    6. Other resources as decided from time to time.

Presently Green Tax is also a portion of amount collected in this fund. (*State has notified Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF) Rules 2012 for utilization of this Green fund for the below mentioned activities.)*

1. To build Over Bridge (RoB) flyover/underpass construction.
2. To develop parking spots.
3. To build bypass roads for smooth movement in cities.
4. To make available the latest technical transport means, for this purpose, grant at all interest rates and equity capital to Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur and Ajmer City Transport Services Ltd, Udaipur Metro Rail Corporation etc. institutions.
5. Government undertakings (Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur Metro Rail Corporation, Jodhpur and Ajmer City Transport Services Ltd. etc.) working under the control of the state government in the field of public transport.
6. To provide assistance for the arrangement of pollution-friendly fuels, such as C.N.G. & L.P.G. etc. and vehicles for the purpose of pollution control.
7. In urban transport, to encourage vehicles with minimum carbon emissions, silent tyres and sound absorbing road surface so that environmental pollution can be controlled.

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004
Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
RSPCB HelpLine No. : 0141-2716877

For operation and management of the fund Local Self Government (LSG) has been made as the Nodal Department. 75 % of the total fund utilization will be decided by the LSG. 25% fund utilization will be decided by the Department of Transport.

- Since entire fund in Rajasthan Transport Infrastructure Development (RTIDF) is allotted for expenditure to Transport department therefore it has been directed to the Joint Transport Commissioner to obtain the details of Green Tax fund received and utilized by the Local Self Government and the Transport department so that it can be produced before the Hon'ble NGT.
- Committee has also decided that there is no specific site in this matter to visit as directed by the Hon'ble Court.

Meeting ended with vote of thanks.

(Kapil Chandrawal)
Member Secretary

F.11 (200) RSPCB/AQMC/ 6127-6131 Date:- 16-03-2026

Copy to following for information/ necessary action please:-

1. PS to Chairperson, RSPCB, Jaipur.
2. PS to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
3. Joint Transport Commissioner, Department of Transport, Govt. of Rajasthan.
4. Group In-Charge (AQMC), RSPCB, Jaipur.
5. Sh. Rupendra Kumar, Scientist-B, Central Pollution Control Board (CPCB)

Member Secretary

परिशिष्ट -

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 10, बुधवार, शाक 1933–फरवरी 29, 2012 *Phalguna 10, Wednesday, Saka 1933–February 29, 2012*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 29,2012

संख्या प. ( )( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/1821:–रोजगार की सम्भावनाओं, बेहतर संस्थानों व चिकित्सा सुविधाओं के कारण शहरों का विकास एवं विस्तार तेजी से हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण यातायात के साधन भी लगातार बढ़ रहे हैं। शहरों में आवास, औद्योगिक संस्थानों व व्यापारिक केन्द्रों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण यातायात के साधनों के लिए भूमि की उपलब्धता में कमी आ रही है, फलस्वरूप सुगम शहरी यातायात प्रबन्धन हेतु चुनौती बढ़ती जा रही है। साथ ही राज्य के सुदूरगामी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसामान्य को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने हेतु परिवहन/यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास आवश्यक है। अधिक एवम् परम्परागत यातायात के साधनों से पर्यावरण प्रदूषण (Noise and Air Pollution) भी बढ़ता जा रहा है। राज्य की विकास गति प्रभावित न हो, इस हेतु सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवम् प्रदूषण रहित द्रुतगामी यातायात व्यवस्था के विकास एवम् प्रबन्धन के लिए राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund) का गठन किया गया है। इस निधि के गठन के बाद केन्द्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) की शर्तों की क्रियान्विति भी सम्भव हो सकेगी।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) के संचालन के लिए निम्न नियम बनाये जाते हैं :–

1. नाम:– यह नियम राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि, 2012 कहलायेंगे।
2. प्रभावशीलता:– यह नियम वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रभावशील होंगे।
3. परिभाषाएं :–

(1) "निधि" से तात्पर्य राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 2012 है।

(2) "राज्य सरकार" से आशय राजस्थान सरकार से है।

(3) "सड़क सुरक्षा निधि" से आशय राजस्थान सड़क सुरक्षा निधि 2011 है।

(4) "स्थानीय निकायों" का आशय जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण, राज्य के नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकायें हैं।

(5) "राजकीय उपक्रम" से तात्पर्य पूर्व में गठित या गठित की जाने वाली उन राजकीय उपक्रमों/संस्थाओं से है जो प्रदेश यातायात के आधारभूत विकास एवम् प्रबन्धन के लिए कार्यरत है अथवा कार्यरत होंगी, यथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इत्यादि।

(6) "नोडल विभाग" से तात्पर्य स्थानीय निकाय विभाग है।

(7) "कार्यकारी अभिकरण" से आशय इन नियमों में उल्लेखित उन राजकीय उपक्रमों/संस्थाओं से है जिनके माध्यम से इस निधि का उपयोग करते हुए योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी।

(8) "वित्तीय वर्ष" का आशय 01 अप्रेल से शुरु होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(9) "वित्त विभाग" से आशय राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से है।

(10) "बजट निर्णायक समिति (बी.एफ.सी.)" से आशय वित्त विभाग द्वारा गठित समिति जो बजट प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदित करती है, से है।

(11) "व्यक्तिगत निक्षेप खाते" से आशय राजकीय उपक्रम या अन्य संस्था के राज्य के कोष कार्यालयों में खोले गये ऐसे खाते से है जिसमें सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा राशि हस्तान्तरित की जाती है।

4 निधि के गठन के उद्देश्य :–

(1) राज्य के नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित यातायात एवम् सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना;

(2) राज्य में कार्यरत स्थानीय निकायों एवम् राजकीय उपक्रमों/संस्थाओं को, प्रदेश में सुगम यातायात व्यवस्था के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ व विकसित करने हेतु, यातायात का बेहतर प्रबन्धन

करने से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु अनुदान, व्यवहारिकता अन्तर निधियन (Viability Gap Funding), ऋण व अंश-पूंजी सहायता उपलब्ध कराना;

(3) प्रदूषण रहित यातायात सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण रहित ईंधन, यथा L.P.G. & C.N.G. इत्यादि एवम् वाहनों की व्यवस्था हेतु राजकीय उपक्रम/संस्थाओं को अनुदान, ऋण, अंश-पूंजी उपलब्ध कराना;

(4) यातायात के साधनों से उत्पन्न प्रदूषण के प्रभाव को न्यून करने के उद्देश्य से सड़कों के [illegible] और व विभाजक में तथा शहर में उपलब्ध राजकीय/सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना एवम् उनका संधारण करना; तथा

(5) सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवम् गतिशील बनाने के लिए किये जा रहे कार्यों की आंशिक लागत वहन करना।

5. निधि के आय के स्त्रोत :-

(1) राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत देय एक-वार्षिय अथवा एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत तथा अन्य करों पर 5 प्रतिशत अधिभार से प्राप्त राशि;

(2) पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि;

(3) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से प्राप्त राशि;

(4) राज्य सरकार की संचित निधि से अंशदान के रुप में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि;

(5) निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी एवम् गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त राशि;

(6) औद्योगिक संस्थाओं से, सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्राप्त राशि; तथा

(7) अन्य स्त्रोत जिन्हे समय-समय पर विशिष्ट रुप से निर्धारित किया जाए

6. नोडल विभाग :-

(1) निधि के प्रबन्ध एवम् संचालन के लिए स्वायत्त शासन विभाग उत्तरदायी होगा। शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे। इस निधि के लिए प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा।

(2) इस निधि की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग स्वायत्त शासन विभाग (LSG) के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत राशि का उपयोग परिवहन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

7. कार्यकारी अभिकरण (Implementing Agencies) :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(2) जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड।

(3) अजमेर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड।

(4) जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण।

(6) जोधपुर विकास प्राधिकरण।

(7) उक्त के अतिरिक्त किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर संचालन समिति की स्वीकृति से किसी अन्य राजकीय विभाग या राजकीय उपक्रम/संस्था को भी कार्यकारी अभिकरण बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में योजना विशेष के सफल क्रियान्वयन एवम् पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्था उत्तरदायी होंगे।

8. संचालन समिति :-

(1) निधि की धनराशि के उपयोग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
2.	आयुक्त, परिवहन विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
5.	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लि.	सदस्य
8.	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लि.	सदस्य
9.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य सचिव

(2) समिति के कार्य :-

(i) निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में विभिन्न विभागों एवं कार्यकारी अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट, कार्यक्रम एवं योजनाओं को निधि से राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित करना। इसमें ऐसी परियोजनाएं, कार्यक्रम, योजनाएं एवं प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिनमें किसी राजकीय उपक्रम/निकाय को ऋण या अंश-पूँजी सहायता का प्रावधान हो तथा

संचालन हानि (Operational Loss) वाले राजकीय उपक्रम, यथा RSRTC, JCTSL, ACTSL, Jaipur Metro Rail Corporation Ltd. etc. को आर्थिक सहायता/अनुदान का (विशेषकर घाटा पूर्ति के लिए) प्रावधान हो।

(ii) विभागों तथा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करना।

(iii) निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नई योजनाएं एवं प्रोजेक्ट तैयार करवाना।

(iv) योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आवश्यक होने पर नई संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करना।

9. निधि का उपयोग:– निधि की धनराशि में से 75 प्रतिशत राशि का उपयोग स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत राशि का उपयोग परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा:–

अ. निधि की धन राशि से, निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमत होगा।

निम्नांकित कार्यों/परियोजनाओं के लिए, जो राजकीय विभागों या कार्यकारी अभिकरणों या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP) या संयुक्त उपक्रम (JV) या विशेष प्रयोजन माध्यम साधन/संस्था (SPV) के माध्यम से, क्रियान्वित की जा रही है, निधि से अंशदान उपलब्ध कराया जा सकेगा :–

(1) ओवर ब्रिज (RoB) बनाना/अण्डर पास बनाना/फ्लाई ऑवर बनाना।

(2) पार्किंग स्थल विकसित करना।

(3) शहरो में सुगम यातायात हेतु बाई–पास रोड बनाना।

(4) नवीनतम तकनीकी के यातायात साधन उपलब्ध हों, इस हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर व अजमेर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि०, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० आदि संस्थाओं को अनुदान, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण तथा अंश–पूँजी उपलब्ध कराना।

(5) सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत राजकीय उपक्रम (राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर मेट्रो रेल निगम, जयपुर व अजमेर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. आदि) को, जो पिछले वित्तीय वर्ष में संचालन हानि (Operational loss) में हो, को पूर्व वित्त वर्ष की संचालन हानि के आधार पर 10.00 करोड़ रूपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा सकती है।

(6) प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदूषण रहित ईंधन, यथा C.N.G. & L.P.G. इत्यादि एवं वाहनों की व्यवस्था हेतु सहायता उपलब्ध करवाना।

(7) शहरी यातायात में, न्यूनतम् कार्बन उत्सर्जित करने वाले वाहनों, आवाज रहित टायरों (Silent Tyres) तथा ध्वनि अवशोषण रोड़ धरातल (Road surface) को प्रोत्साहित करना ताकि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित हो सकें।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुक्रम में हो, संचालन समिति की स्वीकृति से करवाए जा सकेंगे।

ब. निधि की धन राशि से, निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्णतः वर्जित होगा –

(1) भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान।

(2) सामान्य मरम्मत एवं संधारण पर व्यय।

(3) वेतन–भत्तों पर व्यय।

(4) चुनाव, वी.आई.पी. मूवमेन्ट अथवा किसी अभियान में यातायात व्यवस्था पर व्यय

(5) देश/विदेश में प्रशिक्षण, सेमीनार, वर्कशॉप, बैठकों एवं नवाचार के अध्ययन हेतु विभागीय अधिकारियों के भाग लेने हेतु व्यय।

(6) नोड़ल विभाग तथा सम्बन्धित राजकीय विभागों में संस्थापन सम्बन्धी नियमित व्यय तथा अनावर्तक मद (Non-Recuring) वाहन क्रय, वाहन किराया, टेलीफोन, मोबाइल, कम्प्यूटर क्रय, कार्यालय सामग्री क्रय इत्यादि।

नोट- उक्त प्रतिबन्ध बिन्दु 9 अ(5) के विषयों पर लागू नहीं होंगे।

10. निधि के उपयोग की प्रक्रिया :–

(1) राजकीय विभाग/कार्यकारी अभिकरण (Programme Implementing Agencies) द्वारा कार्यों/योजनाओं/प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

(2) कार्यकारी अभिकरण, अपने प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन उपरांत स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से संचालन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय निकाय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के दौरान निधि का उपयोग निर्धारित अनुपात अर्थात 75 प्रतिशत नगरीय विकास विभाग के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत परिवहन विभाग के माध्यम से ही हो।

(3) संचालन समिति, राजकीय विभागों एवं कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों पर महत्व एवं आवश्यकता के मद्देनजर विचार कर उचित निर्णय लेगी। जिन कार्यों/योजनाओं के प्रस्तावों हेतु वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक है, प्राप्त किया जाएगा।

(4) नोडल विभाग (स्वायत्त शासन विभाग), निधि में राजस्व प्राप्ति के आंकलन के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर बी.एफ.सी. (Budget Finalizing Committee) के समक्ष उपयुक्त बजट प्रावधान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(5) बी.एफ.सी. से प्रस्तावों के अनुमोदन उपरान्त बजट अनुभाग द्वारा संबंधित बजट शीर्षों में राशि का प्रावधान किया जाएगा। वर्ष के दौरान योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रावधान स्वीकृत कराए जाएंगे।

(6) अगर कार्य, राजकीय विभागों (परिवहन तथा स्वायत्त शासन विभाग) द्वारा सम्पादित किए जाते हैं तो उनके द्वारा इस बजट प्रावधान का उपयोग कोषालय व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।

(7) अगर कार्य/योजना का क्रियान्वयन कार्यकारी अभिकरण द्वारा किया जाना है तो सम्बन्धित राजकीय विभाग (परिवहन/नगरीय विकास विभाग) उस कार्य/योजना विशेष की वित्त (व्यय) विभाग की सहमति से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे तथा वित्तीय स्वीकृति के आधार पर वित्त (बजट) विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के व्यक्तिगत निक्षेप खाते (P.D. A/C) में हस्तान्तरित की जाएगी।

(8) कार्यकारी अभिकरण तथा राजकीय विभाग कार्यों/योजनाओं की, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति से, निधि के नोडल विभाग को, मासिक आधार पर, अवगत कराएंगे।

(9) निधि की संचालन समिति, कार्यों/योजनाओं/प्रोजेक्ट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी एवं सुनिश्चित करेगी कि कार्य/योजना, स्वीकृति के अनुसार एवम् निर्धारित समय में पूर्ण हों।

(10) कार्य पूर्ण होने के तीन माह में, कार्यकारी अभिकरण/राजकीय विभाग द्वारा कार्य-पूर्णता रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नोडल विभाग व विभाग (परिवहन/स्वायत्त शासन विभाग) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(11) निधि की राशि से बनी परिसम्पत्तियों पर, कार्यकारी अभिकरण या राजकीय विभाग का स्वामित्व होगा इन परिसम्पत्तियों का नियमित संधारण विभागीय/संस्थाओं के नियमित बजट से किया जाएगा।

11. कार्य/योजनाएं/प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की शक्तियाँ (Schedule of Powers) नियमों में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु संचालन समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृतियां दी जा सकेंगी:-

(1) राजस्व प्रकृति के व्यय हेतु.

(2) रूपये 5.00 करोड़ से अधिक लागत के पूंजीगत कार्य संचालन समिति की अनुशंषा पर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त स्वीकृत किए जाएंगे।

(3) राजकीय उपक्रमों एवं निकायों को अंश-पूँजी सहायता संचालन समिति की अनुशंषा पर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त दी जाएगी।

(4) निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग/विभागीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबन्ध के आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं जिनके लिए इन नियमों के अन्तर्गत निधि से राशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है उनसे संबंधित समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति उपरान्त ही स्वीकृत किए जा सकेंगे।

12. निधि का लेखांकन :- संचालन समिति द्वारा अनुमोदित व्यय हेतु निधि में उपलब्ध धन राशि को, परिवहन व स्वायत्त शासन विभाग के बजट मदों (Service Budget Head) के जरिये व्यय किया जायेगा। उक्तानुसार नगरीय विकास विभाग तथा परिवहन विभाग के बजट शीर्षों में बजटीय प्रावधान हेतु अपेक्षित समन्वय करने का दायित्व नोडल विभाग (स्वायत्त शासन विभाग) का होगा। बजट प्रावधान के प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग/स्वायत्त शासन विभाग/परिवहन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे। निधि की प्राप्तियों एवं निधि से व्यय से संबंधित विवरण-पत्र तथा अपेक्षित रजिस्टर संधारण करने का उत्तरदायित्व नोडल विभाग का होगा।

13. अंकेक्षण :-
निधि की प्राप्तियों एवं व्यय के नोडल विभाग में संधारित लेखों का, अंकेक्षण महालेखाकार, राजस्थान तथा निदेशक, निरीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति, निधि की संचालन समिति तथा वित्त (व्यय) विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी।

आज्ञा से,

आर वेंकटेश्वरन,
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 24.8.2016

क्रमांकः 15683

—:: संशोधित अधिसूचना ::—

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प ( ) ( )पीए/सीएओ/डीएलबी/2001/1421 दिनांक 29.02.2012 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

4 निधि के गठन के उद्देश्यः— बिन्दु संख्या 4 पर अंकित निधि के गठन के उद्देश्य में क्रम संख्या 5 के पश्चात् (6), (7), (8) की नयी प्रविष्टि जोड़ी जाती है :—

(6) राज्य में कार्यरत नगर निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क/नालियों/जल निकास/water bodies/पार्क/श्मशान घाट (All religions cremation ground) इत्यादि के संरक्षण एवं विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

(7) नये गठित नगर निकाय को संरचनात्मक कार्यो हेतु एक मुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

(8) नगर निकायों में "गौरव पथ" हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

6 नोडल विभाग :—
बिन्दु 6 के क्रमांक 1 में प्रविष्टि शासन सचिव को प्रमुख शासन सचिव से प्रतिस्थापित किया जाता है।

7 कार्यकारी अभिकरण :— बिन्दु संख्या 7 में प्रविष्टि 6 के पश्चात् नयी प्रविष्टि हेतु निम्नानुसार अभिकरण जोडे जाते है :—

7. नगर निकाय (नगर निगम/परिषद/पालिका)/parastatal agency.
8. अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. कोटा बस सर्विस लिमिटेड।
10. जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड।

तथा प्रविष्टि संख्या 7 को 11 पढ़ा जावे।

8 संचालन समिति :— बिन्दु संख्या 8 पर संचालन समिति में सदस्यों की प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन—सदस्य।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन—सदस्य।

3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त–सदस्य।
4. प्रमुख शासन सचिव/सचिव, आयोजना–सदस्य।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग–सदस्य।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड–सदस्य।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग–सदस्य सचिव।

9 निधि के उपयोग :– बिन्दु संख्या 9 पर अंकित प्रविष्टि में निम्न संशोधन किया जाता है:–

(A) निधि की धनराशि से, अनमुत व्यय में क्रम संख्या 5 में वर्णित संशोधन तथा 8, 9, 10 व 11 जोड़े गये।

5. जयपुर मेट्रो हटाया गया।
8. जयपुर मेट्रो रेल निगम को गत वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों का 25 प्रतिशत अथवा गत वर्ष की संचालन हानि अथवा राशि 50 करोड़, जो भी कम हो, तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा सकती है।
9. एक लाख तक की आबादी वाले (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) नगर निकायो को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियो यथा सड़क/नालियां/जल निकास/water bodies/बाढ़ नियंत्रण कार्य/श्मशान घाट (All religions cremation ground) इत्यादि के संरक्षण एवं विकास हेतु सहायता उपलब्ध करवाना।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सडकों की निर्धारित सड़क सीमा में सुरक्षात्मक वाहन परिचालन (Safe Vehicular Movement) के लिए आवश्यकतानुसार चारदीवारी/तारबन्दी एवं अन्य वैकल्पिक विकास कार्यो हेतु आवश्यक व्यय।
11. नगर निकायों में "गौरव पथ" हेतु प्राप्त प्रस्तावों के लिए राशि रूपये 2.50 करोड़ प्रति नगर निकाय को सहायता उपलब्ध करवाना।

13 अंकेक्षण :– बिन्दु संख्या 13 पर अंकित निदेशक, निरीक्षण विभाग की जगह निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग पढ़ा जावें।

आज्ञा से

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
Published by Authority
अग्रहायण 6, सोमवार, शाके 1939—नवम्बर 27, 2017
Agrahayana 6, Monday, Saka 1939 - November 27, 2017

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 26, 2017

संख्या प.( )( )पीए/पीएओ/डीएलबी/2011/16554 :—विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.( )( )पीए/पीएओ/डीएलबी/2011/1421 दिनांक 29-9-2012 एवं संशोधित क्रमांक 15683 दिनांक 24-8-2016 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. नियम 3 परिभाषाएं :— नियम संख्या 3 पर अंकित परिभाषाऐं मे बिन्दु संख्या 3 विलोपित किया जाता है।
2. नियम 4 निधि के गठन के उद्देश्य :— नियम सख्या 4 पर अंकित "निधि के गठन के उद्देश्य में बिन्दु सख्या 5 पर अंकित "सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से सडक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एव गतिशील बनाने के लिये किये जा रहे कार्यो की आंशिक लागत वहन करना" को विलोपित किया जाता है।
3. नियम 9 निधि का उपयोग :— नियम संख्या 9 पर अंकित निधि का उपयोग के बिन्दु सख्या 9 (ब) "निधि की धन राशि से निम्नलिखित मदो पर व्यय पूर्णतः वर्जित होगा" के बिन्दु सख्या 6 के पश्चात (7) नई प्रविष्टि जोडी जाती है।

7 परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु गठित "समर्पित सडक सुरक्षा कोष" के अन्तर्गत अनुमत कार्यो/गतिविधियों पर व्यय/सड़क सुरक्षा के उपायों पर व्यय।

आज्ञा से,
पवन अरोड़ा,
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
चैत्र 12, सोमवार, शाके 1940–अप्रेल 2, 2018
Chaitra 12, Monday, Saka 1940–April 2, 2018

सत्यमेव जयते

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2018

संख्या प( )पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/पार्ट-I/33794 :–विभागीय अधिसूचना क्रमांक प ( ) ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/1421 दिनांक 29.02.2012 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 15683 दिनांक 24.08.2016, 16554 दिनांक 26.10.2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. नियम 9 निधि का उपयोग :– बिन्दू संख्या 9–अ पर अंकित प्रविष्टि में निम्न संशोधन किया जाता है :–
   (A). निधि की धन राशि से, अनुमत व्यय में क्रम संख्या 5 में वर्णित राजकीय उपक्रमों की सूचि में से निम्न को हटाया गया–
   5. जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
   (B). निधि की धन राशि से, अनुमत व्यय में क्रम संख्या 8 व 9 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–
   8. जयपुर मेट्रो रेल निगम को वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों की 15 प्रतिशत राशि (No Relation to loss & No Upper Limit) आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
   9. नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क/नालियों/जल निकास/Water bodies/बाढ़ नियंत्रण कार्य/ श्मशान घाट (All religions cremation ground) इत्यादि के संरक्षण एवं विकास हेतु सहायता उपलब्ध करवाना।
   (C). निधि की धन राशि से, अनुमत व्यय में क्रम संख्या 11 के पश्चात् 12 व 13 नये प्रावधान किये गये–
   12. जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को राशि रुपये 30.00 करोड़ अथवा संचालन हानि जो भी कम हो, तक की प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा सकती है।
   13. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राशि रुपये 10.00 करोड़ प्रतिमाह जिसमें 5.00 करोड़ रुपये अनुदान एवं 5.00 करोड़ ऋण पूंजी के रूप में उपलब्ध करवना।

आज्ञा से,
पवन अरोड़ा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

22

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 14, शुक्रवार, शाके 1940–मई 4, 2018

Vaisakha 14, Friday, Saka 1940–May 4, 2018

सत्यमेव जयते

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, मई 1, 2018

संख्या प( )पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/35845 :–विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. ( ) ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/1421 दिनांक 29–02–2012 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 15683 दिनांक 24.08.2016, 16554 दिनांक 26.10.2017 तथा 33794 दिनांक 27.03.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. नियम 4 निधि के गठन के उद्देश्य :–बिन्दू संख्या 4 पर अंकित प्रविष्टि में निम्न संशोधन किया जाता है :-
   (A). निधि के गठन के उद्देश्य में विद्यमान बिन्दू संख्या 6 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   6. राज्य के समस्त नगर निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क/नालियों/जल निकास/ Water bodies/पार्क/ श्मशान घाट (All religions cremation ground) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था (Storm Water drainage system), सार्वजनिक शौचालय व सुलभ शौचालय, अम्बेडकर भवनों इत्यादि के निर्माण, संरक्षण, मरम्मत एवं विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।
   (B). निधि के गठन के उद्देश्य में क्रम संख्या 8 के पश्चात् 9 में नवीन प्रावधान किया गया :–
   9. प्रदेश की नगर निकायों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु अपेक्षित राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु अपेक्षित सीडमनी एवं ऋण का पुनर्भुगतान किया जाना।
2. नियम 5 निधि के आय के स्रोत :– विद्यमान बिन्दु संख्या 3 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   3. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3–ए के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त अधिभार की राशि (स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त अधिभार की राशि 30 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि में सम्मिलित संशोधित अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3. नियम 9 निधि का उपयोग :– बिन्दु संख्या 9–अ पर अंकित प्रविष्टि में निम्न संशोधन किया जाता है :–
   (A). निधि की धनराशि से अनुमत व्यय में विद्यमान क्रम संख्या 9 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   9. राज्य के समस्त नगर निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क/नालियों/जल निकास/ Water bodies/पार्क/ श्मशान घाट (All religions cremation ground) बरसाती पानी के निकास बाढ नियन्त्रण कार्य की व्यवस्था (Storm Water drainage system), सार्वजनिक शौचालय व सुलभ शौचालय, अम्बेडकर भवनों इत्यादि के निर्माण, संरक्षण, मरम्मत एवं विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।
   (B). निधि की धनराशि से अनुमत व्यय में क्रम संख्या 13 के पश्चात् 14 में नये प्रावधान किया गया।
   14. प्रदेश की नगर निकायों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु अपेक्षित राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु अपेक्षित सीडमनी एवं ऋण का पुनर्भुगतान किया जाना।
   उक्त दिशा निर्देशों/नियमों में संशोधन, संशोधित अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
पवन अरोड़ा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर
जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

क्रमांक : प ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/पार्ट-1/38922 दिनांक 24-07-18

संशोधित अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प ( ) ( )पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/1421 दिनांक 29.02.2012 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 16083 दिनांक 24.08.2016, 16554 दिनांक 26.10.2017, 33794 दिनांक 27.03.2018 तथा 35845 दिनांक 01.05.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. नियम 5 निधि के आय के स्त्रोत :– विद्यमान बिन्दु संख्या 1 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   1. राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 12.50 प्रतिशत तथा अन्य करो पर 6.25 प्रतिशत अधिभार से प्राप्त राशि।
2. नियम 6 मॉडल विभाग :– विद्यमान बिन्दु संख्या 2 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   2. इस निधि की 75 प्रतिशत राशि (राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12.50 प्रतिशत राशि तथा अन्य करो पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत की गई वृद्धि की राशि को छोड़कर) का उपयोग स्वायत्त शासन विभाग (LSG) के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत राशि (राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12.50 प्रतिशत राशि तथा अन्य करो पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत की गई वृद्धि की राशि को छोड़कर) एवं राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर दरों में की गई वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग परिवहन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
3. नियम 9 निधि का उपयोग :– विद्यमान बिन्दु संख्या 9 "निधि का उपयोग" पर अंकित प्रविष्टि के स्थान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   9. निधि का उपयोग :– इस निधि की 75 प्रतिशत राशि (राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12.50 प्रतिशत राशि तथा अन्य करो पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत की गई वृद्धि की राशि को छोड़कर) का उपयोग स्वायत्त शासन विभाग (LSG) के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत राशि (राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12.50 प्रतिशत राशि तथा अन्य करो पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत की गई वृद्धि की राशि को छोड़कर) एवं राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुश्त कर पर दरों में की गई वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग परिवहन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
4. नियम 9 निधि का उपयोग :– विद्यमान बिन्दू संख्या 9अ(13) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

9अ(13): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राशि रू. 10.00 करोड़ प्रतिमाह जिसमें राशि रू. 5.00 करोड़ अनुदान एवं राशि रू. 5.00 करोड़ ऋण पूंजी के रूप में तथा परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2017 से राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम –1951 के तहत देय एक वारीय अथवा एक मुस्त कर पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12.50 प्रतिशत राशि तथा अन्य करो पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत की गई वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त सम्पूर्ण राशि को आरएसआरटीसी को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाना)

उक्त दिशा निर्देशों/नियमो में संशोधन राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम–1951 के तहत देय करो पर अधिभार की दर में संशोधन की तिथि 11.10.2017 से प्रभावी होगें।

आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
248

F:\Shakti Singh G\RTIDF\RTIDF\RTIDF Letters 2017.docx

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, मंगलवार, शाके 1941-मार्च 17, 2020 Phalguna 27, Tuesday, Saka 1941–March 17, 2020	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, मार्च 03, 2020

संख्या : प. ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/पार्ट-I/28729 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक प ( ) ( )पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/1421 दिनांक 29.02.2012 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 15683 दिनांक 24.08.2016, 16554 दिनांक 26.10.2017, 33794 दिनांक 27.03.2018 तथा 35845 दिनांक 01.05.2018 तथा 38922 दिनांक 24.7.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

(A) नियम 7 कार्यकारी अभिकरण:- विद्यमान बिन्दु संख्या 7 में प्रविष्टि 10 के पश्चात् नवीन प्रविष्टियों हेतु निम्नानुसार अभिकरण जोड़े जाते हैं:-

11. उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
12. भरतपुर नगर निगम/नवगठित शहरी बस सेवा कंपनी (शहरी बस सेवाओं के संचालन हेतु)
13. बीकानेर नगर निगम/नवगठित शहरी बस सेवा कंपनी (शहरी बस सेवाओं के संचालन हेतु)

प्रविष्टि संख्या 11 को 14 पढ़ा जावेगा।

(B) नियम 9 (अ) निधि की धनराशि से अनुमत व्यय में प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

8. वित्तीय वर्ष 2019-20 से जयपुर मेट्रो रेल निगम को निधि में वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

आज्ञा से,
उज्जवल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

3112
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 27, मंगलवार, शाके 1941–मार्च 17, 2020
Phalguna 27, Tuesday, Saka 1941–March 17, 2020

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 03, 2020

संख्या प. ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/पार्ट-I/28730 :- बजट घोषणा 2018-19 एवं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र 2019-20 के दौरान प्रस्तुत प्रति उत्तर में की गई घोषणा के क्रम में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि की दिनांक 22.10.2019 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवाही विवरण 26359-62 दिनांक 14.11.2019 के एजेंडा बिन्दु संख्या 15.12.1 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान परिवहन निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के पेटे वर्तमान नियम 9 अ(13) में शिथिलता प्रदान करते हुए 10 करोड़ (5 करोड़ ऋण एवं 5 करोड़ अनुदान) के स्थान पर 20 करोड़ रूपये प्रतिमाह अनुदान राशि (With Retrospective Effect) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के पेटे प्रतिमाह 20 करोड़ अनुदान राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु परिवहन विभाग की हिस्सा राशि में उपलब्ध राशि तथा मोटरयान अधिनियम के तहत अधिभार की दरों में वृद्वि से प्राप्त राशि राजस्थान परिवहन निगम को उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् शेष देय राशि स्वायत्त शासन विभाग की हिस्सा राशि में से उपलब्ध करवायी जाएगी। 2018-19 एवं 2019-20 में राजस्थान परिवहन निगम को स्वीकृत ऋण राशि का पुर्नभुगतान अनुदान राशि से करवाया जाकर शेष सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप में राजस्थान परिवहन निगम को उपलब्ध करवायी जाएगी।

आज्ञा से,
उज्जवल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

3113
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

26

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 25, मंगलवार, शाके 1944-अगस्त 16, 2022

Sravana 25, Tuesday, Saka 1944- August 16, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 12, 2022

जी.एस.आर.62 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक प ( ) पीए / सीएओ /डीएलबी / 2011/ 1421 दिनांक 29.02.2012 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 15683 दिनांक 24.08.2016, तथा 28729 दिनांक 03.03.2020 द्वारा जारी राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) नियम 2012 में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

(A) नियम 7 कार्यकारी अभिकरण :- विद्यमान नियम संख्या 7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(i) प्रविष्टि सं.(3) : अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ACTSL) के स्थान पर अजमेर पुष्कर सिटी बस लिमिटेड (APCBL) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) प्रविष्टि सं.(12) : भरतपुर नगर निगम/नवगठित शहरी बस सेवा कंपनी (शहरी बस सेवाओं के संचालन हेतु) के स्थान पर भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (BCTSL) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(B) (i) नियम 8 - संचालन समिति :- विद्यमान नियम संख्या 8 पर संचालन समिति के सदस्यों की प्रविष्टि में बिन्दु संख्या 6 के पश्चात् निम्न नवीन प्रविष्टियां जोड़ी जाती है :-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) - सदस्य
2. प्रबंध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) - सदस्य

(ii) पूर्व प्रविष्टि संख्या 7 को 9 पढ़ा जावेगा।

[संख्या क : प. ( ) पीए/सीएओ/डीएलबी/2011/पार्ट-/13451]

आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.

27